न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1233

1. सम्पत पत्नि करण सिंह जाति जाट, निवासिनी ग्राम चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनूं राज0।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. नानडराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज0।
2. तहसीलदार चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनूं राज0।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू निर्णय दिनांक 03.07.2024 अपील संख्या 58/2023 बउनवानी सम्पत बनाम नानडराम आदि विरूद्ध संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.08.2023 तहसीलदार चिडावा बहक नानडराम खसरा नम्बर 1633/883 रकबा 0.68 हैक्टर में से 0.2245 हैक्टर राजस्व ग्राम चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.

उपस्थित :–

1. श्री कुलदीप सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री शेलेन्द्र बलवदा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 28.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2024 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.09.2024 को प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट ने तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 24.08.2023 के विरूद्ध अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के साथ अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के न्यायालय में पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया। अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए में दिनांक 16.08.2023 को उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष पेश किया। जिसमें अपीलार्थीया ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 1324/882 रकबा 42 हैक्टर में जाने के लिये खसरा नम्बर 1653/883 में से ए से बी रास्ते की मांग की। क्योंकि अपीलार्थीया के खेत में कोई रास्ता नहीं लगता है। उक्त प्रार्थना पत्र का नानड़राम को पता चलने के पश्चात् दिनांक 17.08.2023 को नानड़राम ने जहां से रास्ता मांगा जा रहा है वहां से आबादी में संपरिवर्तन करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय चिड़ावा के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रार्थना पत्र व उससे सम्बन्धित रिपोर्ट अपील के साथ पेश की गयी। उक्त संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.08.2023 से अपीलार्थीया गम्भीर रूप से प्रभावित होती है। अपीलार्थीया ने धारा 251ए में रास्ते की मांग की इसके बाबत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसको निष्फल करने के लिए खसरा नम्बर 1633/883 भूमि को संपरिवर्तित करवाया है। उक्त संपरिवर्तन आदेश हेतु दिनांक 17.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 18.08.2023 को रिपोर्ट आ गई तथा 22.08.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया। दिनांक 21.08.2023 को ग्राम पंचायत की एनओसी ले ली तथा दिनांक 24.08.2023 को आदेश जारी कर दिया। मात्र 7 दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी। उक्त प्रकरण में नानडराम के नाम से आवेदन किया तथा आदेश में नानडसिंह पुत्र भूराराम है जबकि नानडसिंह पुत्र भूराराम के नाम से कोई भूमि नहीं है। भूमि नानडराम के नाम से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। अदालत मातहत के समक्ष उक्त संपरिवर्तन आदेश 251ए के प्रार्थना पत्र को निष्फल करने के लिये जारी किया गया है। जबकि धारा 251ए में तहसीलदार पक्षकार है। जिससे मौके की रिपोर्ट मांग रखी है। संपरिवर्तन आदेश किसी अन्य कानून की व्यवस्था को निष्फल करने के लिये नहीं है। अदालत मातहत के समक्ष संपरिवर्तन आदेश जारी कर धारा 251ए के प्रार्थना पत्र को असफल बनाना है जो कानून की मंशा के विपरीत है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय तहसीलदार चिडावा दिनांक 24.08.2023 को निरस्त किया जावें।

जिस पर जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने यह माना की तहसीलदार चिडावा ने संपरिवर्तन की कार्यवाही समुचित प्रक्रिया अपनाकर, ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्राप्त कर एवं बाद जांच नियमानुसार राजकीय शुल्क प्राप्त कर पूरी की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 24.08.2023 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2024 पारित किया गया हैं।

3. जिला कलक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट सम्पत पत्नी करण सिंह द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने एवं जिला कलक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2024 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश/निर्णय का अवलोकन ही नही किया तथा तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आदेश/निर्णय को दिनांक 24.08.2022 का होना चुनौतीग्रस्त आदेश में अंकित किया है जबकि तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 24.08.2022 का नही होकर दिनांक 24.08.2023 का है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दिनांक 17.08.2023 को संपरिवर्तन हेतु आवेदन ही प्रस्तुत किया था इसलिए दिनांक 24.08.2022 को उक्त आवेदन का निर्णय होना संभव ही नही था। जिससे स्पष्ट है कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार चिड़ावा की उक्त संपरिवर्तन पत्रावली का अवलोकन नहीं किया, ना ही तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया एवं सरसरी तौर पर ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया। जो कि स्थिर रहने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष प्रस्तुत संपरिवर्तन हेतु आवेदन का अवलोकन किया जावे तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त आवेदन में संपरिवर्तन का उदेश्य आवासीय परियोजनार्थ अंकित किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 2245 वर्गमीटर के वृहद आवासीय भूमि खण्ड की आवश्यकता नही रही है, ना ही चाहा गया रास्ता की भूमि का संपरिवर्तन आवासीय उदेद्श्य से किया जा सकता है इसके अलावा योग्य अधिनस्थ तहसीलदार चिडावा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत किया गया संपरिवर्तन हेतु आवेदन के कॉलम संख्या 19 के तथ्यों को छुपाकर आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें प्रस्तुत योजना की भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारण नही होना अंकित कर दिया जबकि प्रस्तुत योजना की भूमि के संबंध में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष प्रकरण विचाराधीन था जिसके संबंध में अपीलांट ने योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में भी अंकन किया एवं उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की थी। परन्तु योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील की पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन ही नही किया एवं सरसरी तौर पर ही अपील को खारिज कर दिया एवं चुनौतीग्रस्त आदेश में तहसीलदार चिड़ावा द्वारा नियमानुसार जांच करके संपरिवर्तन आदेश पारित किया जाने का विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत निष्कर्ष दे दिया। जिस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अवस्थित ग्राम पंचायत चनाना के अनापत्ति प्रमाण पत्र का भी अवलोकन नही किया। अधीनस्थ तहसीलदार की पत्रावली में किता दो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें

एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 14.08.2023 एवं दूसरा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.2023 का है उक्त दोनों ही अनापत्ति प्रमाण पत्रों पर ग्राम पंचायत चनाना के सरपंच की सील मोहर पर भिन्न भिन्न हस्ताक्षर अंकित है एवं किता दो प्रमाण पत्रो की आवश्यकता भी नही होती है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा संपरिवर्तन हेतु 2245 वर्गमीटर कृषि भूमि का नक्शा प्रस्तुत किया। उसका अवलोकन किया जावे तो अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि को भी सम्मलित करके संपरिवर्तन हेतु गलत नक्शा बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ तहसीलदार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष विचाराधीन धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन में पक्षकार था एवं दिनांक 16.08.2023 को ही प्रस्तावित रास्ता की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा निर्देशित करके तहरीर जारी कर दी थी जो कि दिनांक 23.08.2023 को तहसीलदार चिड़ावा को प्राप्त हो गयी थी। उसके बावजूद भी दिनांक 24.08.2023 को अधीनस्थ तहसीलदार ने संपरिवर्तन का चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। जबकि योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील में धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन के तथ्य अंकित करके धारा 251 (ए) आरटीएक्ट के आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित कर दी थी। परन्तु योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को रास्ता के संबंध में वांछित अनुतोष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा दिया जाने का निष्कर्ष देकर अधीनस्थ तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त संपरिवर्तन आदेश को पुष्ट कर दिया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा संपरिवर्तन हेतु 2245 वर्गमीटर कृषि भूमि का नक्शा प्रस्तुत किया। उसका अवलोकन किया जावे तो अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि को भी सम्मलित करके संपरिवर्तन हेतु गलत नक्शा बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ तहसीलदार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के समक्ष विचाराधीन धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन में पक्षकार था एवं दिनांक 16.08.2023 को ही प्रस्तावित रास्ता की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा निर्देशित करके तहरीर जारी कर दी थी जो कि दिनांक 23.08.2023 को तहसीलदार चिड़ावा को प्राप्त हो गयी थी। उसके बावजूद भी दिनांक 24.08.2023 को अधीनस्थ तहसीलदार ने संपरिवर्तन का चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। जबकि योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील में धारा 251ए आरटीएक्ट के आवेदन के तथ्य अंकित करके धारा 251 (ए) आरटीएक्ट के आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित कर दी थी। परन्तु योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को रास्ता के संबंध में वांछित अनुतोष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा दिया जाने का निष्कर्ष देकर अधीनस्थ तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त संपरिवर्तन आदेश को पुष्ट कर दिया जबकि कृषि भूमि का संपरिवर्तन हो जाने के कारण धारा 251ए आरटीएक्ट की कार्यवाही प्रभावित होना स्पष्ट है फिर भी योग्य अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। जिसे अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित किया गया संपरिवर्तन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यो को छुपाकर प्राप्त किया गया होना प्रमाणित होने के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन की कार्यवाही समुचित प्रक्रिया अपनाकर पूरी करने का निष्कर्ष देकर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया जबकि चुनौतीग्रस्त संपरिवर्तन आदेश विधि सम्मत नही है। इसलिए अधिनस्थ तहसीलदार चिडावा एवं योग्य अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

यह कि अपीलांट को चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी दिनांक 05.09.2024 को अधिवक्ता द्वारा सूचना देने पर हुई। परन्तु अपीलांट के पति अत्यधिक बीमार हो जाने के कारण उनका ईलाज करवाने के लिए जयपुर चली गयी। अपीलांट का पति माह अप्रेल 2024 में लकवा की बीमारी का शिकार हो गया था। जिनका ईलाज के पश्चात घर लेकर आने के बाद अपीलांट दिनांक 17.09.2024 को अधिवक्ता से मिली जिन्होने न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश की नकल अपीलांट को दी। तत्पश्चात यह अपील अतिशीघ्र ही प्रस्तुत की जा रही है अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने के 14 दिवस की देरी जानबुझकर नही की बल्कि भूमि का संपरिवर्तन हो जाने के कारण धारा 251ए आरटीएक्ट की कार्यवाही प्रभावित होना स्पष्ट है फिर भी योग्य अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया। जिसे अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार चिडावा द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया गया संपरिवर्तन आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या। द्वारा तथ्यो को छुपाकर प्राप्त किया गया होना प्रमाणित होने के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा संपरितर्वन की कार्यवाही समुचित प्रक्रिया अपनाकर पूरी करने का निष्कर्ष देकर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया जबकि चुनौतीग्रस्त संपरिवर्तन आदेश विधि सम्मत नहीं है। इसलिए अधीनस्थ तहसीलदार चिडावा एवं योग्य अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलांट को चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी दिनांक 05.09.2024 को अधिवक्ता द्वारा सूचना देने पर हुई। परन्तु अपीलांट के पति अत्यधिक बीमार हो जाने के कारण उनका ईलाज करवाने के लिए जयपुर चली गयी। अपीलांट का पति माह अप्रेल 2024 में लकवा की बीमारी का शिकार हो गया था। जिनका ईलाज के पश्चात घर लेकर आने के बाद अपीलांट दिनांक 17.09.2024 को अधिवक्ता से मिली जिन्होने न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश की नकल अपीलांट को दी। तत्पश्चात यह अपील अतिशीघ्र ही प्रस्तुत की जा रही है अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने के 14 दिवस की देरी जानबुझकर नहीं की बल्कि उक्त देरी सदभाविक रूप से हो गयी क्योकि अपीलांट को पहले तो चुनौतीग्रस्त निर्णय हो जाने के संबंध में अपीलांट के अधिवक्ता ने सूचित नहीं किया जब सूचित किया तो उसके बाद में अपीलांट का पति अत्यधिक बीमार हो गया। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में माफ किया जाना प्रार्थनीय है। जिसके लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी अपील के साथ प्रस्तुत है उक्त देरी को माफ किया जाने पर अपील अंदर मियाद कानूनी मियाद है। अतः निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा प्रथम अपील संख्या 58/2023 में दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश एवं तहसीलदार चिडावा द्वारा दिनांक 24.08.2023 को खसरा नम्बर 1633/883 राजस्व ग्राम चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनूं में से 0.2245 हैक्टर भूमि को आवासीय में संपरिवर्तन का पारित आदेश को अपीलान्ट द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि की हद तक निरस्त किया जाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि मैनें अपनी खातेदारी भूमि का ही संपरिवर्तन कराया है। मैं अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन कराने का अधिकार रखता हूँ। उक्त संपरिवर्तन मैंनें नियमानुसार राजकीय शुल्क अदा कर करवाया है। अपीलान्ट को मेरी संपरिवर्तित भूमि के संपरिवर्तन आदेश को निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। जिसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2024 पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने निर्णय दिनांक 03.07.2024 पारित किया गया है। जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 05.09.2024 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीया द्वारा अपनी भूमि में जाने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में से रास्ता लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां 251ए में दिनांक 16.08.2023 को प्रस्तुत किया और अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में जहां से रास्ता चाहा जा रहा था उस भूमि का संपरिवर्तन कराने के लिये दिनांक 17.08.2023 को तहसीलदार चिडावा के

समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और तहसीलदार चिडावा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.08.2023 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर दिया गया को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को रास्ते के संबंध में वांछित अनुतोष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से मिलना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि का संपरिवर्तन आदेश नियमानुसार शुल्क अदा कर करवाया गया है। तहसीलदार चिडावा ने संपरिवर्तन की कार्यवाही समुचित प्रक्रिया अपनाकर, ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्राप्त कर एवं बाद जांच नियमानुसार राजकीय शुल्क प्राप्त कर रेस्पोडेन्ट नं. 1 की खातेदारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने के आदेश दिनांक 24.08.2023 दिये गये हैं। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट नं0 1 द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किये जाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2024 पारित किये गये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर